

व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नीति - स्पीक अप

परिचय

इस दस्तावेज़ का प्रयोजन उन शर्तों को निर्धारित करना है जिनके अन्तर्गत L'ORÉAL SPEAK UP प्रणाली के माध्यम से जारी की गई रिपोर्ट के सन्दर्भ में संप्रेषित या एकत्रित किए गए व्यक्तिगत डेटा (जिसे इसके बाद "व्यक्तिगत डेटा" कहा गया है) को L'ORÉAL's Group की स्पीक अप नीति के अनुरूप संसाधित किया जाता है।

संसाधित व्यक्तिगत डेटा

किसी स्पीक अप रिपोर्ट के होने की स्थिति में, रिपोर्टर स्वयं से संबंधित निजी डेटा को, और साथ ही, जहां उपयुक्त हो, संबंधित व्यक्ति(यों) तथा उन सम्भाव्य व्यक्ति(यों) जो स्पीक अप रिपोर्ट के संसाधित होने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान कर सकता है, से संबंधित व्यक्तिगत डेटा को L'ORÉAL को सूचित करना अपेक्षित हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, L'ORÉAL द्वारा एक स्पीक अप रिपोर्ट को संसाधित करने के भाग के रूप में, अन्य व्यक्तियों (साक्षियों, प्रतिवादियों, किसी साक्षात्कार में नामित व्यक्ति) से संबंधित व्यक्तिगत डेटा एकत्रित और संसाधित किया जा सकता है।

ऐसा व्यक्तिगत डेटा एकत्रित नहीं किया जाएगा जो किसी विशिष्ट प्रतिवेदन के संसाधन के लिए स्पष्ट रूप से प्रासंगिक नहीं है या, यदि संयोगवश एकत्रित किया जाता है, तो बिना किसी अनुचित विलंब के मिटा दिया जाएगा।

एकत्रित और संसाधित किए जा सकने वाले व्यक्तिगत डेटा के प्रकार में निम्नलिखित शामिल हैं:

- रिपोर्टर की पहचान, प्रकार्य और संपर्क विवरण,
- स्पीक अप रिपोर्ट में आलिप्त व्यक्ति(यों) की पहचान, प्रकार्य और संपर्क विवरण,
- साथ ही रिपोर्टर द्वारा स्वैच्छिक रूप से बताई गई या किसी स्पीक अप रिपोर्ट के संसाधन से परिणामिक कोई अन्य जानकारी। इस तरह की जानकारी को तथ्यात्मक होना चाहिए और रिपोर्ट के विषय से इसका सीधा संबंध होना चाहिए।

रिपोर्ट को संसाधित करते समय, L'ORÉAL उन व्यक्तियों से भी व्यक्तिगत डेटा एकत्र कर सकता है जो रिपोर्ट के संसाधन के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान कर सकते हैं (जिन्हें रिपोर्टर द्वारा पहचाना जा सकता है या नहीं भी पहचाना जा सकता है)।

प्रयोजन तथा कानूनी आधार

इस व्यक्तिगत डेटा को एकत्रित तथा संसाधित करने का प्रयोजन रिपोर्ट की स्वीकार्यता को निश्चित करना, तथ्यों को परखना तथा आवश्यक होने पर सुधारात्मक उपाय करना है।

इस व्यक्तिगत डेटा को L'Oréal पर बाध्य कानूनी दायित्वों और निम्नलिखित उपायों के क्रियान्वयन की आवश्यकता के अनुरूप संसाधित किया जाता है :

- 9 दिसंबर 2016 के Sapin 2 कानून (धारा 17) से परिणामिक रिपोर्टिंग प्रणाली एक अनिवार्य प्रणाली है जिसका प्रयोजन भ्रष्टाचार या अनुग्रह/पक्षपातपूर्ण कार्य करवाने हेतु, फ्रान्स या विदेश में, प्रभाव डालने के कृत्यों के आचरण का निषेध करने व पता लगाने के लिए, कंपनी की आचार संहिता के विपरीत आचरण या स्थितियों के विद्यमान होने से संबंधित तथ्यों को सूचित करना है।
- 9 दिसंबर 2016 के Sapin 2 कानून (धारा 6 और 8) से परिणामिक रिपोर्टिंग प्रणाली एक अनिवार्य प्रणाली है जिसका प्रयोजन किसी भी अपराध या अपकार से, फ्रान्स द्वारा अभिपुष्ट और अनुमोदित अन्तरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता का गंभीर एवं स्पष्ट उल्लंघन से, ऐसी किसी प्रतिबद्धता के आधार पर किसी अन्तरराष्ट्रीय संगठन के किसी एकपक्षीय कृत्य से, किसी कानून या विनियमों के उल्लंघन या सामान्य हितों के प्रति किसी आशंका या गंभीर पूर्वाग्रह से प्राधिकारियों को सचेत करना है।
- सतर्कता के कर्तव्य से संबंधित 27 मार्च 2017 के कानून से परिणामिक रिपोर्टिंग प्रणाली का प्रयोजन; कंपनी एवं नियंत्रणाधीन कंपनियों की गतिविधियों के, साथ ही उन उपठेकेदारों व आपूर्तिकर्ताओं की गतिविधियों के जिनके साथ एक

स्थापित संबंध तब बनाए रखा जाता है जब ये गतिविधियाँ इस संबंध से संबद्ध होती हैं, परिणामिक मानवाधिकारों व मौलिक स्वतंत्रताओं, व्यक्तियों और पर्यावरण के स्वास्थ्य व सुरक्षा के गंभीर उल्लंघनों के जोखिमों के अस्तित्व या आभास संबंधी रिपोर्ट एकत्र करना है।

इसके अतिरिक्त, L'Oréal द्वारा दो वैकल्पिक प्रणालियों को लागू करके L'Oréal Group के नैतिक सिद्धान्तों को बनाए रखने में अपनी वैध अभिरुचि के भाग के रूप में व्यक्तिगत डेटा को संसाधित किया जाता है :

- कंपनी के नैतिक सिद्धान्तों से परिणामिक रिपोर्टिंग प्रणाली, जिसका प्रयोजन Group के नैतिक घोषणापत्र एवं नैतिक नीतियों के उल्लंघनों की रिपोर्ट एकत्र करना है।
- प्रतिशोध की रोकथाम से संबंधित प्रणाली एक वैकल्पिक तन्त्र है जिसका प्रयोजन; ऐसे अपराधकर्ता जिसकी पहचान का प्रकटन हुआ है, ऐसे संबंधियों व किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी प्रकार के प्रतिशोध के विरुद्ध संघर्ष करना है जिसने स्पीक अप रिपोर्ट के संबंध में सूचना दी है।

जहां स्पीक अप रिपोर्ट में संवेदनशील डेटा होता है, उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति की यौन अभिमुखता, स्वास्थ्य डेटा या आपराधिक दोषसिद्धियों या अपराधों से संबंधित डेटा, ऐसे डेटा को विशेष रूप से संसाधित किया जा सकता है जहां विधिक अधिकारों/दावों को स्थापित करने के लिए, प्रयोग करने के लिए या बचाव के लिए ऐसे डेटा आवश्यक होते हैं।

स्पीक अप रिपोर्ट के प्रबंधन के भाग के रूप में या इसे जारी किए जाने के बाद, डेटा को आंकड़ों के बनाए जाने, विशेष रूप से निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए रखा जाएगा :

- नैतिक जांच-पड़ताल, उदाहरण के लिए, जांच-पड़ताल करने की निर्धारित समय-सीमा, जांच-पड़ताल प्रबंधन प्रक्रिया के प्रमुख चरणों में जांच-पड़तालों की संख्या, इत्यादि के निर्देशन की गतिविधि संचालित करना।
- कर्मचारियों के साथ बातचीत करना : प्रति देश रिपोर्ट की संख्या, आरोप की प्रकृति, इत्यादि।

स्टोर किए गए सांख्यिकीय डेटा या उनके निर्माण में उपयोग किए गए डेटा को सदैव व्यक्तिगत डेटा से परिष्कृत रखा जाता है और किसी कर्मचारी की पहचान कभी नहीं करता है।

डेटा नियन्त्रक

L'ORÉAL S.A. 41 rue martre, Clichy, France एकत्रित और संसाधित व्यक्तिगत डेटा के संबंध में डेटा नियन्त्रक के रूप में कार्य करता है।

स्पीक अप रिपोर्ट पर कार्रवाई करते समय, व्यक्तिगत डेटा एकत्रित या संसाधित किया जा सकता है, या L'ORÉAL Group के अन्य निकायों को स्थानांतरित किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, उस निकाय को जहां संबंधित कर्मचारी, बाहरी कर्मचारी, या हितग्राही कार्यरत हो या अवस्थित हो। ऐसे प्रकरण में, उपरोक्त निकाय भी डेटा नियन्त्रक के रूप में कार्य करते हैं। L'ORÉAL के सभी निकाय इस निजता कथन में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए व्यक्तिगत डेटा संसाधित करेंगे। समूह स्पीक अप नीति के संबंध में अन्य निकायों के व्यक्तिगत डेटा के उपयोग संबंधी और अधिक जानकारी के लिए, कृपया निकाय की लागू निजता नीति या कथन तथा किसी भी लागू मुखबिरी नीतियों या कथनों का सन्दर्भ लें। ऐसे व्यक्ति जिनके व्यक्तिगत डेटा को L'ORÉAL Group द्वारा इस ढंग से एकत्रित और संसाधित किया जाता है, वे आगे की जानकारी के लिए निम्नलिखित विभाग से संपर्क कर सकते हैं :

L'Oréal S.A.
Direction Générale de L'Ethique
(मुख्य नैतिक अधिकारी का कार्यालय)
41 rue Martre
92100 Clichy, France
दूरभाष : +33 1 47 56 87 93

किसी विशिष्ट L'ORÉAL निकाय संबंधी जानकारी के लिए, आप तत्संबंधी निकाय के व्यक्तिगत डेटा संपर्क विवरण यहां से प्राप्त कर सकते हैं : dpo@loreal.com.

अवधारण अवधि

व्यक्तिगत डेटा को ऐसे अभिरूप में रखा जाता है जो लक्षित प्रयोजन की पूर्ति के लिए केवल आवश्यक समय के लिए ही व्यक्तियों

की पहचान को अनुमत करता है। अनाम डेटा, जैसे कि, वह डेटा जिसे अब किसी एक या इससे अधिक पहचाने गए या पहचाने जाने योग्य प्राकृतिक व्यक्ति(यों) से संबद्ध नहीं किया जा सकता है, उसे, हालाँकि, असीमित समय के लिए स्टोर किया जा सकता है।

दस्तावेज़ों के अवधारण पर लागू कानूनी प्रावधानों के अधीन, यदि किसी स्पीक अप रिपोर्ट को अस्वीकार्य माना जाता है, तो रिपोर्ट के प्राप्त होने पर रिपोर्ट संबंधी डेटा को अनामित कर दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा।

यदि स्पीक अप रिपोर्ट को स्वीकार्य माना जाता है, तो रिपोर्ट संबंधी डेटा को जांच-पड़ताल हेतु आवश्यक समय के लिए रखा जाता है।

यदि कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो दस्तावेज़ों के अवधारण पर लागू कानूनी प्रावधानों के अधीन, स्पीक अप रिपोर्ट संबंधी डेटा को इसके सत्यापन परिचालनों की समाप्ति से 2 माह के भीतर अनामित या हटा दिया जाएगा।

“अनुवर्ती” का अर्थ वह निर्णय होता है जो एजेन्सी द्वारा स्पीक अप रिपोर्ट के निष्कर्ष निकालने के लिए लिया जाता है। इसमें संगठन के आन्तरिक नियमों (आन्तरिक विनियमों, नीति-संहिता, इत्यादि) को अपनाना या संशोधित करना, कंपनी के परिचालनों या सेवाओं का पुनर्गठन करना, किसी भी अभिरूप में अनुशासनिक उपायों की घोषणा, स्पीक अप रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के संबंध में किसी लोक प्राधिकरण के समक्ष लंबित प्रक्रिया सम्मिलित हो सकते हैं।

स्पीक अप रिपोर्ट पर एक बार आगे की कार्रवाई कर लेने के बाद, सुधारात्मक योजना को कार्यान्वित करने के लिए एकत्रित डेटा को आवश्यक समय तक रखा जाएगा। उदाहरण के लिए, डेटा को किसी अपमानजनक रिपोर्ट के प्रतिवादी या लेखक के विरुद्ध अनुशासनात्मक या अभियोग कार्रवाईयों की समाप्ति तक, या निर्णय के विरुद्ध अपीलों के लिए संविधि सीमाओं की अवधि के लिए रखा जा सकता है।

इस अवधि के अन्त में, स्पीक अप रिपोर्ट संबंधी डेटा को मुखबिरी करने वाले व्यक्ति की सुरक्षा के प्रयोजनों के लिए, जारी अपकारों का पता लगाने के लिए या किसी कानूनी अधिकार/दावे का बचाव करने के लिए एक मध्यवर्ती पुरालेख के तौर पर रखा जा सकता है। इस प्रकरण में, डिफॉल्ट रूप से चयनित अवधारण अवधि, अपकृत्य के विषयों में विधिक संविधि सीमाओं की अवधि के अनुरूप होती है, यानी कि, पिछले अभिलेखित तथ्य से लेकर 6 वर्षों की अवधि, जो दस्तावेज़ों के अवधारण के लिए लागू स्थानीय विधिक प्रावधानों के अधीन होती है।

speakup.loreal.com वेबसाइट पर उपयोग की गई कुकीज़ किन्हीं भी परिस्थितियों में ऐसे व्यक्तिगत डेटा के प्रग्रहण को अनुमत नहीं करती हैं जिनसे उपयोगकर्ता की पहचान हो सकती है। उनका उपयोग, उपयोगकर्ताओं द्वारा साइट के उपयोग का प्रलेखन करने हेतु किया जाता है, उदाहरण के लिए : कनेक्शन की संख्या, कनेक्शन की अवधि, वह देश जिसमें उपयोगकर्ता कनेक्ट होता है, इत्यादि।

स्पीक अप रिपोर्ट संबंधी डेटा के लिए अवधारण अवधि की सारांश तालिका नीचे दी गई है :

एक स्पीक अप रिपोर्ट को संसाधित करने के लिए समय चरण (दिन = कार्य दिवस)

		स्पीक अप रिपोर्ट की प्राप्ति की पावती	विवेचन करने के लिए रिपोर्ट की ग्राह्यता जांचने हेतु आवश्यक समय की सूचना (रिपोर्ट की प्राप्ति से)	रिपोर्ट के अस्तित्व पर आरोपित व्यक्तियों की जानकारी और उनसे संबद्ध व्यक्तिगत डेटा का एकत्रीकरण (रिपोर्ट की प्राप्ति की पावती से)	रिपोर्टर को अनुवर्ती कार्रवाई पर प्रतिप्रेष प्राप्त होती है। (रिपोर्ट की प्राप्ति की पावती से)	सुधारात्मक योजना का क्रियान्वयन (जांच-पड़ताल की रिपोर्ट के सत्यापन से)	प्रतिशोध-रोधी सत्यापन उपाय (जांच-पड़ताल की रिपोर्ट के सत्यापन से)	मध्यवर्ती पुरालेखन (केवल प्रक्रमण के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए आवश्यक डेटा - [जांच-पड़ताल की रिपोर्ट के सत्यापन से])		मध्यवर्ती पुरालेखन : रिपोर्ट से संबद्ध व्यक्तिगत डेटा को हटाना और/या अनामित करना	
								अनुशासनात्मक या विवादास्पद कार्रवाईयां - प्रतिवादी या अपमानजनक रिपोर्ट के लेखक के विरुद्ध आरंभ की गई	किए जा रहे उल्लंघन तथा मुखबिर की सुरक्षा का अभिलेखन		
अस्वीकार्य रिपोर्ट	क्योंकि आरोप स्पष्ट रूप से विषय-क्षेत्र से बाहर हैं	स्वचालित और/या तत्काल	7 दिन	लागू नहीं	15 दिनों के भीतर अस्वीकार्यता की सूचना देना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	अस्वीकार्यता पर प्रतिप्रेष के बाद बिना किसी विलंब के	
	जानकारी का अभाव (उदाहरण के लिए रिपोर्टर से प्रतिक्रिया के बिना अनाम रिपोर्ट)						लागू नहीं	लागू नहीं	6 वर्ष	मध्यवर्ती पुरालेखन अवधि समाप्ति के तुरंत बाद या प्रतिशोध-रोधी सत्यापनों के बाद	
स्वीकार्य रिपोर्ट	कानूनी कार्यवाही या समतुल्य प्रगति में हैं			1 माह अपवाद : जांच-पड़ताल के संचालन के लिए आवश्यक एहतियाती उपायों के आधार पर	साधारण तौर पर : 3 माह अपवाद : 6 माह - विशेष परिस्थितियों के प्रकरण में	2 माह	1 वर्ष - जांच-पड़ताल की रिपोर्ट के समापन से	6 वर्ष या वर्तमान प्रक्रिया से संबद्ध अवधि	लागू नहीं	अवधारण : निरन्तर उल्लंघनों को स्थापित करने में लगने वाला समय (प्रत्येक नई संकट-सूचना के साथ विस्तारित अवधारण अवधि) - संविधि समय-सीमाएं : - 6 वर्षों का अपकृत्य - और 20 वर्षों का आपराधिक।	- 2 माह : गैर-प्रतिशोध परिचालनों के समापन से - निरन्तर अवलंघन : मध्यवर्ती पुरालेखन अवधि समाप्ति के तुरंत बाद
	लेकिन कोई सुधारात्मक योजना नहीं (प्रशिक्षण, अनुशासनात्मक कार्रवाई और अन्य उपाय)							लागू नहीं			
	सुधारात्मक योजना के साथ (प्रशिक्षण, अनुशासनात्मक कार्रवाई और अन्य उपाय)							6 वर्ष या सुधारात्मक योजना के क्रियान्वयन के बाद जारी अनुशासनात्मक प्रक्रिया से प्रासंगिक समयावधि			

डेटा प्राप्तकर्ता

डिजिटल समाधान को होस्ट करने वाले EQS प्रदाता के पास प्लेटफॉर्म पर विनिमय किए गए किसी भी डेटा का एक्सेस नहीं होता है। डेटा के विनिमय को शुरू से अंत तक एन्क्रिप्ट / संरक्षित किया जाता है। इस प्रकार, प्रदाता की भूमिका, किसी जांच-पड़ताल में संलिप्त हुए बिना, एक प्रचालनी IT सेवा प्रदान करने तक ही सीमित होती है।

वे व्यक्ति जो जांच-पड़ताल डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- जांच-पड़ताल में लिप्त व्यक्ति, जैसे कि : साक्षी, प्रतिवेदक, प्रतिवादी, इत्यादि, जो किसी जांच-पड़ताल में आलिप्त हैं।

किसी जांच-पड़ताल के प्रबंधन में लिप्त व्यक्ति, विशेष रूप से : नैतिकता महानिदेशक (DGE), वे व्यक्ति जिन्हें ग्रुप स्पीक अप नीति के अनुरूप पूर्ववर्ती द्वारा स्पीक अप रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए अधिदिष्ट किया गया हो तथा अधिक सामान्य रूप से वे व्यक्ति जिन्हें स्पीक अप रिपोर्ट को एकत्र करने और/या संसाधित करने या उपयुक्त उपायों को करने के सन्दर्भ में बुलाया जाता है। इसमें L'ORÉAL या इसके निकायों के भीतर के व्यक्ति भी सम्मिलित हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, जांच-पड़ताल पर्यवेक्षक, जांचकर्ता, मानव संसाधन एवं उत्तरदाता प्रबंधक, विधिक फर्म यदि जांच-पड़ताल को किसी स्वतंत्र तृतीय पक्ष, या अनुवाद कंपनी को सौंप दिया गया हो। केवल उन्हीं ही जानकारी प्राप्त होती है जो स्पीक अप रिपोर्ट को हल करने हेतु उनके सम्मिलित होने के लिए आवश्यक हो।

रिपोर्ट को संसाधित करने के लिए मध्यवर्ती पुरालेखों को एक्सेस करना केवल DGE या DGE द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों तक ही सीमित होता है और केवल रिपोर्टर या उस/उन व्यक्ति(यों) की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जो स्पीक अप रिपोर्ट को संसाधित करने में सहभागिता करता/करते हैं या पिछली रिपोर्ट द्वारा कवर किए गए व्यक्ति को नई चुनौती की स्थिति में या L'Oréal को किसी न्यायिक चुनौती पर प्रतिक्रिया देने में सक्षम करने के लिए या प्राधिकारियों के अनुरोध पर ही संभव होता है।

यदि कोई स्पीक अप रिपोर्ट L'ORÉAL स्पीक अप वेबसाइट :

www.lorealpeakup.com के माध्यम से बनाई गई थी, तो L'ORÉAL के बाहरी सेवा प्रदाता भी डेटा प्राप्तकर्ता के रूप में माने जाते हैं। उक्त सभी व्यक्ति एक कठोर गोपनीयता दायित्व से बंधे होते हैं और डेटा को इस प्रक्रिया के अनुपालन में संसाधित करने के लिए बाध्य होते हैं।

यूरोपीय संघ (EU) के बाहर व्यक्तिगत डेटा का स्थानांतरण

स्पीक अप रिपोर्ट संसाधित करते समय, व्यक्तिगत डेटा को फ्रान्स में L'ORÉAL मुख्यालय से प्रासंगिक निकायों में स्थित स्पीक अप रिपोर्ट पर कार्रवाई करने वाले व्यक्तियों को स्थानांतरित किया जा सकता है। इन स्थानांतरणों का प्रयोजन स्पीक अप रिपोर्ट के संसाधन को सक्षम करना है।

यूरोपीय संघ के बाहर के देशों को व्यक्तिगत डेटा के ऐसे स्थानांतरण जो डेटा सुरक्षा के पर्याप्त स्तर को सुनिश्चित नहीं करता है, यूरोपीय आयोग द्वारा अनुमोदित मानक संविदात्मक धाराओं सहित उपयुक्त संरक्षोपायों के अधीन होते हैं। जिन व्यक्तियों के निजी डेटा को स्पीक अप रिपोर्ट के सन्दर्भ में एकत्रित और संसाधित किया जाता है, वे यथाप्रदिष्ट गारन्टियों (उदाहरण के लिए मानक संविदात्मक धारा) की एक प्रति का ऊपर उल्लिखित सेवा से अनुरोध कर सकते हैं।

आपत्ति करने का अधिकार

कोई भी व्यक्ति जिसका व्यक्तिगत डेटा L'ORÉAL स्पीक अप प्रणाली के अन्तर्गत एकत्रित और संसाधित किया जाता है, उसे अपने विशेष परिस्थितियों संबंधी कारणों से अपने व्यक्तिगत डेटा के संसाधित किए जाने पर आपत्ति करने का अधिकार होता है। इस तरह के अधिकार का उपयोग किसी कानूनी दायित्व के अनुपालन के लिए या नियंत्रक के वैध हित में संसाधन प्रचालनों के लिए नहीं किया जा सकता है।

कृपया ध्यान दें कि यदि कोई रिपोर्टर उसके आपत्ति करने के अधिकार का उपयोग करता है, तो ऐसे प्रकरणों में स्पीक अप रिपोर्ट को संसाधित करना अधिक कठिन, और कुछ प्रकरणों में असंभव भी हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, आपत्ति करने के इस अधिकार का उपयोग, L'ORÉAL को स्पीक अप रिपोर्ट को संसाधित करने और रिपोर्टर की सुरक्षा करने के लिए इसके विधिक दायित्वों को पूरा करने से रोकने के लिए नहीं किया जा सकता है।

अन्य अधिकार

कोई भी व्यक्ति जिसका व्यक्तिगत डेटा L'ORÉAL स्पीक अप प्रणाली की रूपरेखा के भीतर संसाधित किया जाता है, उसके पास निम्नलिखित अधिकार भी होते हैं :

- उनके व्यक्तिगत डेटा को एक्सेस करने का अधिकार, जिसका अर्थ डेटा नियंत्रक से यह पुष्टि प्राप्त करना है कि क्या उनसे संबंधित व्यक्तिगत डेटा संसाधित किया जा रहा है या नहीं, और, जहां ऐसा प्रकरण होता है, इसके संसाधन पर कुछ विशिष्ट जानकारी के साथ व्यक्तिगत डेटा को (लागू कानून के अनुपालन में) एक्सेस करने का अधिकार। इस अधिकार के उपयोग को, रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट या निर्देश के दौरान एकत्रित तत्वों को पूर्वप्रभावी संशोधित करना अनुमत नहीं करना चाहिए। इस प्रकार, यह तथ्यात्मक डेटा को ठीक करने में सक्षम बनाता है, जिसकी सामग्री सटीकता को अनुपूरक साक्ष्य द्वारा, एकत्रित मूल डेटा के व्यक्तिगत डेटा को हटाने के लिए अनुरोध किया जा सकता है।
- उनके व्यक्तिगत डेटा को हटाने का अधिकार, जिसका अर्थ है कि डेटा नियंत्रक से उनके व्यक्तिगत डेटा के हटाने को प्राप्त करने में अनुमत करता है (उदाहरण के लिए स्पीक अप रिपोर्ट को संसाधित करने के प्रयोजनों के लिए व्यक्तिगत डेटा अब L'ORÉAL के लिए आवश्यक नहीं है)। इस अधिकार का उपयोग करना, L'ORÉAL पर लागू किसी भी कानूनी दस्तावेज़ अवधारण आवश्यकताओं के अधीन है।
- उनके व्यक्तिगत डेटा के संसाधन को प्रतिबंधित करने का अधिकार (कुछ प्रकरणों में संसाधन के निलंबन को प्राप्त करना भी सम्मिलित है), तथा
- उनकी मृत्यु के बाद उनके व्यक्तिगत डेटा के अवधारण, हटाने और संप्रेषण के बारे में निर्देश देने का अधिकार।

जैसा कि आपति करने के अधिकार में प्रावधानित है, उक्त उल्लिखित अधिकारों का उपयोग, L'ORÉAL को स्पीक अप रिपोर्ट को संसाधित करने और रिपोर्टर की सुरक्षा करने के लिए इसके कानूनी दायित्वों को पूरा करने से रोकने के लिए नहीं किया जा सकता है।

जैसा कि डेटा नियंत्रक खंड में बताया गया है, इन अधिकारों का उपयोग डेटा नियंत्रक को एक आवेदन भेजकर किया जा सकता है।

शिकायत दर्ज कराने का अधिकार

कोई भी व्यक्ति जिसका व्यक्तिगत डेटा L'ORÉAL स्पीक अप प्रणाली के अधीन एकत्रित और संसाधित किया जाता है, उसे सक्षम पर्यवेक्षी प्राधिकारी को शिकायत प्रस्तुत करने का अधिकार होता है, विशेष रूप से यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य में जिसमें उनका सामान्य निवास या कार्यस्थल है, या लागू नियमों के कथित उल्लंघन का स्थान है।

